कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री भीमराज — **विपक्षी** श्री देवीग व अन्य

कस्म मुकदमा धारा–111, 128 भू–राजस्व अधिनियम — **प्रकरण संख्या** 63 / 2024

	कार्यवाही विवरण
30–04–2025	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज ओदश में नियत है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी भूमि मौजा साठोदडा तहसील झल्लारा मे स्थित है जिसके खाता संख्या 59 आराजी नम्बर 1233, 1234 कुल किता 2 रकबा 0.15 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 54 आराजी नम्बर 1229 रकबा 0.11 हैक्टेयर स्थित है जिसकी प्रार्थी पत्थरगढी कराना चाहता है। मौके पर सीमा को लेकर विवाद बना हुआ है। प्रार्थी पत्थरगढी कराने बाबत शुल्क जमा कराने हेतु तैयार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से विपक्षीगण के खिलाफ आदेशिका दिनांक 23–04–2025 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 3 भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा ने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी मौजा साठोदडा पटवार हल्का शेषपुर के आराजी नम्बर 1233, 1234 का रिकॉर्डेड खातेदार है एवं आराजी नम्बर 1229 का रिकॉर्डेड खातेदार नही है। तथा आवेदित आराजीयात में हाल मौसमी फसल रबी की बुवाई की हुई है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार रही तथा भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा ने बहस मे अपने जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराया।

बहस मनन की गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा आवेदित मौजा साठोदडा आराजी संख्या 1233, 1234 प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1, 2 की संयुक्त खातेदारी की होकर राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज अंकित है। आराजी नम्बर 1229 तहसीलदार जवाब अनुसार प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार नही है। ना ही प्रार्थी ने आराजी नम्बर 1229 अपने पक्ष मे होने संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली मे पेश किया है। अतः प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1233, 1234 की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा साठोदडा पटवार हल्का शेषपुर तहसील झल्लारा के आराजी नम्बर 1233, 1234 कुल किता 02 रकबा 0.15 हैक्टयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भूअभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(परमजीत आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

जिला सलुम्बर